परीक्षा – 2026

परीक्षा प्रपत्र – 34

आवेदन–पत्रों को अग्रेषित करने से पूर्व कृपया इन समस्त नियमों / निर्देशों का अवलोकन अवश्य करें

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के ऑनलाईन आवेदन–पत्र अग्रेषित करने का अधिकार पत्र

सेवा में,

प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक,(अग्रेषण अधिकारी)

अग्रेषण अधिकारी कोड
F –

....

.... (राजस्थान)

क्रमांक – परीक्षा – 1 / सैल–8 / 2026 दिनांक :

महोदय / महोदया,

वर्ष 2026 की परीक्षाओं के लिए स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के आवेदन–पत्र अग्रेषण हेतु आपको अग्रेषण अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

1. वर्ष 2026 की परीक्षा गुरूवार 19 फरवरी 2026 से प्रारम्भ होना प्रस्तावित है।
2. आपको नीचे दिये गये निर्देशानुसार सभी परीक्षाओं हेतु आवेदन पत्र ऑनलाईन भरे जाने हैं। आपको अधिकतम 600 परीक्षार्थियों के आवेदन–पत्र अग्रेषित करने हैं।
3. इस वर्ष ऑनलाईन भरे गये परीक्षा आवेदन–पत्र एवं परीक्षा शुल्क के चालान तथा अग्रेषण सूची परीक्षा शुल्क विवरण प्रपत्र 127 के साथ आपके विद्यालय के निकटतम नोडल केन्द्र पर जमा कराने हैं। यह सूची बोर्ड वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।
4. परीक्षा शुल्क ऑन लाईन व्यवस्था के अन्तर्गत राजस्थान में स्थित बोर्ड द्वारा अधिकृत बैकों की किसी भी शाखा में जमा कराया जा सकता है। विस्तृत निर्देश परिशिष्ठ–1 के बिन्दु संख्या (iii) पर देखें।

विशेषः– (i) निर्धारित तिथियों तक सामान्य परीक्षा शुल्क चालान द्वारा बैंक में जमा नहीं कराया गया तो परीक्षा शुल्क बैंक द्वारा अतिरिक्त शुल्क सहित स्वीकार किया जावेगा। उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। अन्तिम तिथि के पश्चात् आवेदन–पत्र / शुल्क स्वीकार नहीं होगा।

(ii) असाधारण परीक्षा शुल्क के आवेदन–पत्र जिले में अधिकृत अग्रेषण अधिकारी द्वारा ही स्वीकार किये जायेंगे। जिन्हे अग्रेषण अधिकारी की सूची में रेखांकित किया गया है वे ही इसके लिए अधिकृत हैं अन्य द्वारा स्वीकार नहीं किये जायें।

5. आवेदन पत्र अग्रेषित करने से पूर्व आवेदन–पत्र की पूर्ति, आवेदन करने की तिथियां, परीक्षा शुल्क, पात्रता एवं अन्य जानकारी हेतु कृपया परिशिष्ट 1 से 10 का भली भांति अध्ययन कर लें :–

परिशिष्ट – 1 आवेदन पत्र ऑनलाईन भरने की तिथियां एवं शुल्क का विवरण एवं बैंक में ऑन लाईन शुल्क जमा कराने के निर्देश।
परिशिष्ट – 2 अन्य बोर्ड / विश्वविद्यालय के माध्यमिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए पात्रता प्रमाण–पत्र।
परिशिष्ट – 3 उच्च माध्यमिक / वरिष्ठ उपाध्याय / माध्यमिक / प्रवेशिका परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता संबंधी नियम।
परिशिष्ट – 4 आवेदन–पत्र भरवाने, परीक्षार्थी की पहचान, आवेदन–पत्र की जांच एवं नोडल केन्द्र पर जमा कराने संबंधी जानकारी।
परिशिष्ट – 5 आवेदन–पत्र भरे जाने के पश्चात् केन्द्र एवं विषय परिवर्तन संबंधी जानकारी।
परिशिष्ट – 6 श्रेणी सुधार / अंक सुधार / विषय परिवर्तन / अतिरिक्त विषय / वर्ग परिवर्तन / केन्द्र परिर्वतन हेतु नियम।
परिशिष्ट – 7 सामान्य निर्देश एवं इस वर्ष के प्रमुख निर्णय।
परिशिष्ट – 8 (NCVT) से उत्तीर्ण आई.टी.आई. पोलिटेक्निक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रवेशाज्ञा देने बाबत्।
परिशिष्ट – 9 स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र हेतु अग्रेषण अधिकारियों की सूची।
परिशिष्ट –10 स्वयंपाठी परीक्षार्थियों हेतु परीक्षा केन्द्र स्थानों की सूची (Place Code)
परिशिष्ट –11 चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप।

अति आवश्यक निर्देश :– बोर्ड द्वारा डाक से आवेदन–पत्र / परीक्षा शुल्क का ड्राफ्ट स्वीकार नही किया जायेगा। ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदन पत्रों की हार्डकापी / परीक्षा शुल्क का चालान की रसीद विद्यालय द्वारा निर्धारित ''नोडल केन्द्र'' पर ही जमा कराये जा सकेंगे।

1. परीक्षा आवेदन–पत्र, परीक्षा शुल्क का चालान रसीद तथा अग्रेषण सूची इत्यादि सभी एक साथ प्रपत्र–125 ''आवेदन–पत्र भेजने के निर्देश'' के अनुसार अन्तिम तिथियों तक विद्यालय के कर्मचारी को भेजकर आपके विद्यालय के आवेदन–पत्र नोडल केन्द्र पर जमा कराना अनिवार्य है। इन्हें डाक द्वारा नहीं भेजा जावे।
2. नोडल केन्द्र पर आवेदन–पत्र जमा कराने हेतु जाने वाले कर्मचारी को वास्तविक वाहन व्यय अग्रेषण शुल्क की राशि से वहन किया जायेगा।
3. सभी विद्यालय / अग्रेषण अधिकारियों को बोर्ड द्वारा निर्धारित दिनांक तक परीक्षा शुल्क बैंक में तथा परीक्षा आवेदन पत्र मय बैंक में जमा कराये गये शुल्क की रसीद नोडल केन्द्र पर जमा कराना आवश्यक है।
4. यदि कोई विद्यालय / अग्रेषण अधिकारी बैंक में निर्धारित दिनांक तक शुल्क जमा करा देता है किन्तु आवेदन पत्र निर्धारित दिनांक तक नोडल केन्द्र पर जमा नहीं करा पाता है तो आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इससे परीक्षार्थियों के परीक्षा में बैठने से वंचित रहने की समस्त जिम्मेदारी शाला प्रधान / अग्रेषण अधिकारी की होगी।

5. सामान्य परीक्षा शुल्क, एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क तथा असाधारण परीक्षा शुल्क का आपस में समायोजन नहीं किया जायेगा।

6. परीक्षा शुल्क जिस परीक्षार्थी के लिये जमा हुआ है उसी का परीक्षा आवेदन–पत्र स्वीकार होगा। अन्य परीक्षार्थी के लिए परीक्षा शुल्क का समायोजन नहीं किया जायेगा।

7. बोर्ड कार्यालय में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिशः आवेदन–पत्र/शुल्क के चालान रसीद स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इन्हें वापस लौटा दिया जायेगा। इस आधार पर परीक्षार्थी परीक्षा में प्रविष्ठ नहीं हो सकें तो उसकी समस्त जिम्मेदारी अग्रेषण अधिकारी की होगी।

8. आपको यदि असाधारण विलम्ब शुल्क के लिए अग्रेषण अधिकारी बनाया गया है तो ही असाधारण विलम्ब शुल्क के आवेदन पत्र स्वीकार करें अन्यथा नहीं। असाधारण विलम्ब शुल्क हेतु प्रत्येक जिले में एक विद्यालय को ही अग्रेषण अधिकारी बनाया जाता है, जिसकी सूची अग्रेषण अधिकारियों की सूची में रेखांकित कर उपलब्ध है।

9. निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र, शुल्क के जमा कराने की चालान रसीद एवं अग्रेषण सूची सभी एक साथ आपके विद्यालय हेतु निर्धारित नोडल केन्द्र पर जमा कराकर रसीद प्राप्त कर लें। विलम्ब के कारण यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा में प्रवेश से वंचित रहता है तो अग्रेषण अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। विलम्ब से आवेदन–पत्र/शुल्क प्राप्त होने पर अन्तिम तिथि अनुसार एक अतिक्ति परीक्षा शुल्क/असाधारण परीक्षा शुल्क लिया जा सकेगा। यह अग्रेषण अधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

परिशिष्ट – 1

1. (i) ऑनलाईन परीक्षा आवेदन–पत्र भरने, चालान बनवाने तथा जमा कराने की अन्तिम तिथियाँ :–

मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथियां	परीक्षा शुल्क		मुख्य परीक्षा–2026			
नियमित परीक्षार्थियों/स्वयंपाठी परीक्षार्थियों हेतु		प्रायोगिक परीक्षा शुल्क प्रति विषय	प्रारम्भिक तिथि	चालान मुद्रित करने की अन्तिम तिथि	परीक्षा शुल्क बैंक में चालान जमा कराने की अन्तिम तिथि	आवेदन पत्र एवं चालान नोडल केन्द्र पर जमा कराने की अन्तिम तिथि
1. सामान्य परीक्षा शुल्क से	रू. 650/–	रू. 100/–	24.07.2025	23.08.2025	30.08.2025	06.09.2025
2. एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित	रू. 1300/–	रू. 100/–	25.08.2025	10.09.2025	15.09.2025	18.09.2025
3. असाधारण परीक्षा शुल्क (केवल जिला मुख्यालयों पर केवल स्वयंपाठी परीक्षार्थियों हेतु) रू. 1500/– शास्ति + रू. 650/– एक परीक्षा शुल्क सहित कुल रू. 2150/–			11.09.2025 से 25.09.2025 तक		04.10.2025	सीधे बोर्ड कार्यालय में
नोट :– **प्रायोगिक परीक्षा शुल्क रू.100/– प्रति विषय पृथक से देय होगा।**						

पूरक परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण रहने वाले छात्रों के लिए मुख्य परीक्षा – 2026 हेतु परीक्षार्थ आवेदन पत्र ऑनलाईन भरने तथा परीक्षा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथियां						
परीक्षा शुल्क	**परीक्षा शुल्क**	प्रायोगिक परीक्षा शुल्क प्रति विषय	**प्रारम्भिक तिथि**	**चालान मुद्रित करने की अन्तिम तिथि**	**परीक्षा शुल्क बैंक में चालान जमा कराने की अन्तिम**	आवेदन पत्र सीधे बोर्ड कार्यालय में जमा कराएं
1. सामान्य परीक्षा शुल्क	रू. 650/–	रू. 100/–	11.09.2025	17.09.2025	19.09.2025	
2 एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित	रू. 1300/–	रू. 100/–	18.09.2025	25.09.2025	29.09.2025	
3. मुख्य परीक्षा, 2026 के परीक्षार्थ भरे गये आवेदन पत्रों में ऑनलाईन संशोधन की तिथि			01.10.2025 से 11.10.2025 तक			

नोट :–अ.यदि उपरोक्त तिथियों में कोई परिवर्तन होता है तो समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर सूचित कर दिया जायेगा।
ब. किसी तिथि को राजकीय अवकाश होने पर आगामी तिथि अन्तिम तिथि मानी जावेगी।
स. प्रायोगिक परीक्षा शुल्क– रू. 100/– ;प्रति प्रायोगिक विषय परीक्षार्थी से लिया जावेगा।
द. अन्तिम तिथि का इन्तजार नही करें, क्योकि अन्तिम तिथि को सर्वर व्यस्त रहने अथवा व्यवधान होने पर आवेदन पत्र डाऊनलोड नहीं होने पर इसके लिए बोर्ड जिम्मेदार नही होगा।

2. परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाईन भरना :–

नियमित परीक्षार्थियों की भांति स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र भी ऑनलाईन भरे जायेंगे। परीक्षार्थियों से नमूने के भेजे गये परीक्षा आवेदन–पत्र भरवायें तथा इन परीक्षा आवेदन–पत्रों के आधार पर ऑनलाईन परीक्षा आवेदन–पत्र भरे जाये। रिक्त परीक्षा आवेदन–पत्र का नमूना आपको भेजा जा रहा है। इसकी फोटो प्रतियां करवाकर उपयोग में ली जावे। रिक्त परीक्षा आवेदन–पत्र का प्रारूप बोर्ड वेबसाईट पर भी उपलब्ध है। स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु वेबसाईट पर Fill Exam. Form for Private Candidate; स्वंयपाठी परीक्षार्थी के Link का चयन करें। शेष व्यवस्था

नियमित परीक्षार्थियों की भाँति अथवा वेबसाइट पर दिये गये निर्देशानुसार करें। **परीक्षार्थी का आधार कार्ड नम्बर एवं जनआधार कार्ड नम्बर अनिवार्यतः अंकित करे।**

3. परीक्षा शुल्क ऑनलाईन जमा कराना :–

परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाईन भरने तथा **Data Lock** करने के पश्चात चालान एवं अग्रेषण सूची ऑनलाईन मुद्रित होगी। चालान में परीक्षा शुल्क का पूर्ण विवरण होगा तथा यह चार प्रतियों में होगा। चालान पर वैधता दिनांक भी होगी। इस तिथि तक चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क राजस्थान में स्थित निम्नाकिंत बैंक व पोर्टल पर उपलब्ध अन्य बैंक में जमा किया जा सकेगा।

1	State Bank of India	5	Punjab National Bank
2	ICICI Bank	6	HDFC Bank
3	Rajasthan Gramin Bank	7	AU Small Finance Bank Ltd
4	Bank of Baroda		

ऑनलाईन शुल्क जमा कराने हेतु चालान तथा अग्रेषण सूची की दो प्रतियां परीक्षा शुल्क के साथ बैंक को प्रस्तुत करें। बैंक द्वारा परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात चालान की तीन प्रतियां एवं अग्रेषण सूची की एक प्रति बैंक मुहर लगाकर वापस दी जायेगी।

4. **आई.डी एवं पासवर्ड :–**
   विद्यालय का नियमित परीक्षार्थियों के लिये जो आई.डी. एवं पासवर्ड है वहीं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा आवेदन–पत्र भरते समय रहेगा। किन्तु स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के आवेदन–पत्र Fill Exam. Form for Private Candidate नामक लिंक पर जाकर भरे जा सकेंगे।
5. **बोर्ड को शुल्क की रसीद एवं अग्रेषण सूची का प्रेषण –**
   बैंक में चालान फॉर्म द्वारा परीक्षा शुल्क जमा कराने के बाद **लौटाई गई 3 प्रतियों में से** क्रमांक 3 वाली प्रति अपने कार्यालय हेतु सुरक्षित रख कर क्रमांक 1 व 2 की प्रतियां, ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र, अग्रेषण सूची बैंक द्वारा प्रमाणित की एक प्रति तथा प्रपत्र 127 निर्धारित तिथियों तक नोडल केन्द्र पर जमा करवायें। चालान का नमूना प्रति अन्तिम पृष्ठ पर दिया गया है। अग्रेषण सूची की एक प्रमाणित प्रति अपने पास सुरक्षित रखें।

6. परीक्षा शुल्क में छूट :–

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को (CWSN)/दृष्टिहीन परीक्षार्थियों, युद्व में वीरगति को प्राप्त हुए, पुलवामा हमले में शहीदों के आश्रितों को अथवा अपाहिज हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों को परीक्षा शुल्क से मुक्त रखा गया है। किन्तु इन्हे केवल टोकन शुल्क रू. 50/– जमा कराना होगा। सामान्य परीक्षा शुल्क की तिथि के बाद आवेदन करने वाले ऐसे परीक्षार्थियों को टोकन शुल्क के अतिरिक्त अन्य परीक्षार्थियों के समान अतिरिक्त परीक्षा शुल्क रू. 650/– अर्थात कुल 700/– रूपये अथवा असाधारण परीक्षा शुल्क 1500/– तिथि अनुसार अर्थात कुल 1550/– रूपये देना होगा। विशेष योग्यजन परीक्षार्थियों की परिभाषा निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान द्वारा दिव्यागों को रोजगार के लिए निर्धारित की गई परिभाषा मानी जायेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले विशेष योग्यजन परीक्षार्थी को निर्धारित प्रोफार्मा में जारी किये गये प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करने पर ही शुल्क से मुक्ति प्रदान की जावेगी। स्थायी रूप से विशेष योग्यजन परीक्षार्थी, जिनके पास मेडिकल बोर्ड का स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जिनसे बोर्ड की शर्तें पूरी हो, को सक्षम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षर कराने से छूट प्रदान की गई है। ऐसे परीक्षार्थी आवेदन करने के बाद केन्द्र/वर्ग/विषय/श्रेणी परिवर्तन कर प्रविष्ट होना चाहते हैं तो उनसे नियमानुसार एक सामान्य परीक्षा शुल्क की राशि ली जावेगी।

7. अग्रेषण शुल्क :–.

आपको परीक्षार्थियों से शुल्क लेकर इन्हें आवेदन–पत्र देना है तथा निश्चित तिथि तक परीक्षार्थियों द्वारा भरे हुए परीक्षा आवेदन पत्रों के आधार पर ऑनलाईन परीक्षा आवेदन–पत्र भरना तथा चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा कराना है। ऑनलाईन भरे हुए परीक्षा आवेदन–पत्र, अग्रेषण सूची प्रपत्र 127 के साथ संबंधित नोडल केन्द्र पर जमा कराने है। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिये आप परीक्षार्थी से परीक्षा शुल्क के अलावा रू. 70/– अग्रेषण शुल्क अलग से लें। इस शुल्क का हिसाब अलग रखा जाये। इसे विद्यालय के किसी भी कोष में जमा नहीं कराना है। प्राप्त शुल्क तथा आवेदन पत्रों को अग्रेषित करने में जो खर्चा हो उसका भी विस्तृत हिसाब रखें जिसे शिक्षा विभाग तथा बोर्ड के अधिकारी कभी भी देख सकते हैं। प्रत्येक परीक्षार्थी से प्राप्त अग्रेषण शुल्क को निम्नानुसार वितरित किया जायें :–

1. अग्रेषण अधिकारी/विद्यालय प्रधान — रू. 4.00
2. परीक्षा प्रभारी — रू. 3.25
3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी — रू. 1.75
4. ऑनलाईन परीक्षा आवेदन–पत्र/प्रवेश पत्र डाउनोड करना, बैंक में शुल्क जमा कराना तथा आवेदन–पत्र नोडल केन्द्र पर जमा कराने इत्यादि का व्यय — रू. 61.00

योग रू. 70.00

ऑनलाईन भरे जाने वाले आवेदन पत्रों को भली भांति जांचकर त्रुटिरहित आवेदन पत्र प्रमाणीकरण पश्चात बोर्ड को भेजा जाना सुनिश्चित करावे, अन्यथा आवेदन पत्र में त्रुटि पाये जाने पर उपरोक्त अग्रेषण शुल्क की दुगनी दण्ड राशि प्रति आवेदन पत्र के अग्रेषण अधिकारी से वसूली की जायेगी।

8. शुल्क का हिसाब एवं प्रेषण :–

परीक्षार्थी से प्राप्त परीक्षा शुल्क का हिसाब अलग से कैश बुक में रखा जाए। परीक्षार्थी से परीक्षा शुल्क बैंक चालान अथवा ड्राफ्ट के रूप में कदापि नहीं लिया जाए। परीक्षार्थियों से प्राप्त परीक्षा शुल्क ऑनलाईन मुद्रित चालान के माध्यम से निर्धारित तिथियों में बैंक में जमा करावें। बैंक चालान निर्धारित तिथियों में जमा नहीं होने पर तथा बाद की तिथि का होने पर नियमानुसार एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क अथवा असाधारण शुल्क (प्रति परीक्षार्थी के हिसाब से जो भी लागू हो) अग्रेषण अधिकारी को देना होगा। परीक्षा शुल्क की राशि चालान द्वारा बोर्ड द्वारा स्वीकृत बैंक के माध्यम से बोर्ड के खाते में बैंक की

निकटतम शाखा में जमा करावें। शुल्क जमा कराने के पश्चात् चालान की 1 व 2 नम्बर की प्रतियां, आवेदन–पत्रों के साथ ही नोडल केन्द्र पर जमा करायें।

कृपया ध्यान दें :–

(A) **परीक्षा शुल्क पोस्टल आर्डर अथवा चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।**

(B) **परीक्षा शुल्क किसी भी दशा में व्यक्तिगत रूप से बोर्ड कार्यालय में नकद जमा नहीं किया जायेगा।**

परीक्षा शुल्क जमा करके आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद, यदि परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होने का इच्छुक नहीं है और यदि अन्तिम तिथि से पूर्व आवेदन–पत्र वापस कर शुल्क चाहता है तो कृपया इस आशय का प्रार्थना पत्र लेकर उससे आवेदन–पत्र वापस ले लें और 100/– काटकर शेष राशि लौटा दें, परीक्षार्थी से आवेदन–पत्र जमा कराने एवं शुल्क प्राप्त करने की पावती, उसी रसीद के प्रतिपर्ण के पीछे ले लें, जो आपने शुल्क जमा करते समय दी थी। प्रत्येक अंतिम तिथि के पश्चात् आप जो हिसाब भेजें उसमें ऐसे सब समायोजन दर्शाएं।

(C) भारतीय सेना में कार्यरत ऐसे परीक्षार्थी जिनके आवेदन पत्र रेजीमेन्ट के डिप्टी सुपरिटेन्डेट/उच्च अधिकारी द्वारा अग्रेक्षित कर सीधे बोर्ड कार्यालय को भिजवाये गये है उनके शुल्क बैंक ड्राफ्ट द्वारा स्वीकार्य है।

नोट :– अग्रेषण अधिकारी परीक्षार्थी से आवेदन–पत्र प्राप्त करते समय आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद आवश्यक रूप से देवें

परिशिष्ट –2

अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से प्रवर्जित माध्यमिक स्तर की परीक्षा उतीर्ण परीक्षार्थियों के लिये पात्रता प्रमाण पत्र :–

नोट : 1. अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से माध्यमिक स्तर की परीक्षा उतीर्ण परीक्षार्थियों के लिये आवेदन पत्र भरने से पूर्व अग्रेषण अधिकारी द्वारा ऑनलाईन पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय पात्रता प्रमाण–पत्र का क्रमांक एवं दिनांक भरनी होगी। अतः आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस बोर्ड से पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करें प्रलेख संदेहास्पद होने पर एवं CBEO से प्रमाणित करवाकर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न कर बोर्ड को भेजे।

2. ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय पात्रता प्रमाण–पत्र क्रमांक एवं दिनांक सही भरे। गलत या फर्जी नम्बर भरने पर अथवा बिना मूल पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त के परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त कर शाला प्रधान के विरुद्व कार्यवाही की जायेगी।

पात्रता प्रमाण–पत्र कैसे प्राप्त करें :–

पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिये परीक्षार्थी को अपनी माध्यमिक स्तर की उत्तीर्ण परीक्षा की मूल अंकतालिका, प्रमाण पत्र, प्रवजन–पत्र (Migration Certificate) तथा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित (Counter Signed) T.C. तथा इनकी एक–एक प्रमाणित फोटो प्रतियां एवं निर्धारित पात्रता प्रमाण पत्र शुल्क के साथ आवेदन कर निर्धारित अन्तिम तिथियों तक अग्रेषण अधिकारी द्वारा ऑनलाईन पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

ऑनलाईन भरे गये मुद्रित आवेदन–पत्र एवं अन्य प्रेलेखों की प्रतियों के साथ– साथ मूल पात्रता प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य है। विस्तृत विवरण हेतु परिशिष्ट 3 (v) बिन्दू में देखें।

पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क –

पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने का शुल्क एवं तिथियां	
स्वयंपाठी व नियमित परीक्षार्थियों हेतु	**परीक्षा वर्ष–2026 हेतु आवेदन करने की तिथि**
1. ऐसे छात्र जिन्होंने अन्य बोर्ड से प्रवर्जित होकर राजस्थान बोर्ड से सम्बद्व विद्यालय में इसी वर्ष कक्षा 11 अथवा कक्षा 12 में प्रवेश लिया है यदि प्रवेश के वर्ष में पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते हैं तो उनसे लिया जाने वाला शुल्क रू. 100/– होगा।	25.07.2025 से 25.09.2025
2. यदि छात्र ने कक्षा 11 में गत वर्ष प्रवेश लिया हो किन्तु पात्रता प्रमाण पत्र हेतु एक वर्ष उपरान्त आवेदन कर रहा हो तो शुल्क रू. 100/– एवं शास्ति शुल्क रू. 1000/–सहित पात्रता पत्र शुल्क रू. 1100/– देय होगा।	25.07.2025 से 25.09.2025
नोट :– उपर्युक्त तिथियों के विगत हो जाने के पश्चात् पात्रता प्रमाण–पत्र विद्यालय प्रतिनिधि द्वारा बोर्ड नियमानुसार मूल प्रलेखों सहित व्यक्तिशः बोर्ड मुख्यालय में उपस्थित होकर एवं शास्ति शुल्क रू. 3100/– जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकेगा।	

परिशिष्ट – 3

1. उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा हेतु पात्रता :–

उच्च माध्यमिक परीक्षा में निम्नांकित श्रेणी वाले परीक्षार्थी प्रविष्ट हो सकेंगे :–

(i) जो पूर्व में किसी वर्ष में सीनियर सैकण्डरी परीक्षा अनुत्तीर्ण हो, हायर सैकण्डरी अथवा तत्सय अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो अथवा माध्यमिक या समकक्ष मान्य परीक्षा उत्तीर्ण के पश्चात् विद्यालय स्तर की कक्षा–11उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण हो पात्रता के अन्य नियमानुसार परीक्षा में प्रविष्ट होने योग्य होंगे। ऐसे परीक्षार्थियों को उसी वर्ष के पाठ्यक्रमानुसार परीक्षा देनी होगी जिस वर्ष की परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं।

(ii) इस बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा अनुत्तीर्ण छात्र।

(iii) सैकण्डरी/प्रवेशिका अंग्रेजी सहित मान्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी एक वर्ष के अन्तराल के बाद अगले वर्ष में स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट हो सकेंगे।

(iv) उच्च माध्यमिक परीक्षा में **<u>विज्ञान वर्ग, कृषि वर्ग तथा कला वर्ग के भूगोल व मनोविज्ञान विषय में कोई भी परीक्षार्थी प्रथम बार स्वयंपाठी रूप से परीक्षा में बैठने के लिये पात्र नहीं है।</u>** परीक्षार्थी से प्राप्त आवेदन पत्र की एवं उसके द्वारा प्रस्तुत प्रलेखों आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर लें कि आवेदन पत्र में विवरण परीक्षार्थी ने स्वयं सही तथा पूर्ण भर दिए हैं।

(v) **अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से माध्यमिक (कक्षा–10) परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को राजस्थान बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिये आवेदन पत्र भरने से पूर्व ऑनलाईन पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा जो निम्नांकित आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम तिथि एवं शुल्क के लिये परिशिष्ट–2 देखें।**

(अ) माध्यमिक परीक्षा उस बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो जो राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशिका में समकक्षता सूची में शामिल हो। अनुदेशिका बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(ब) पात्रता प्रमाण–पत्र हेतु कक्षा–10 में संबंधित बोर्ड से उत्तीर्ण होने के साथ न्यूनतम पांच विषयों में प्रत्येक में 33 प्रतिशत अंक सहित उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(स) यदि किसी विषय/विषयों में 33 प्रतिशत से कम अंक है और फिर भी परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया गया है तो उसके कुल निर्धारित पूर्णांकों के लिये जो देय होते हैं, के एक प्रतिशत अंकों का लाभ सानुग्रह अंकों के रूप में प्रवेश की पात्रता जांचने हेतु देय होगा। सानुग्रह अंक कुल विषयों के निर्धारित पूर्णांकों के आधार पर एक प्रतिशत से अधिक किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होंगे। इस प्रकार दिये गये सानुग्रह अंकों का लाभ एक विषय या विषयों की कमी को पूर्ण करने हेतु देय होगा। यदि संबंधित अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय में सानुग्रह अंकों का लाभ पहले ही परीक्षार्थी को दे रखा है, तब यह देखा जायेगा कि बोर्ड के एक प्रतिशत सानुग्रह अंक देने के उपर्युक्त वर्णित नियमानुसार परीक्षार्थी को कुल सानुग्रह अंकों का लाभ मिल चुका है अथवा नहीं। यदि नहीं तो सानुग्रह अंकों का लाभ ऐसे सभी मामलों में बोर्ड के नियमानुसार परीक्षार्थी की प्रवेश पात्रता देखने हेतु देय होगा। सानुग्रह अंक प्रदान करने का यह नियम सभी बोर्ड/विश्वविद्यालयों के मामलों में लागू माना जायेगा चाहे वहां सानुग्रह अंक प्रदान करने का नियम हो अथवा नहीं, **किन्तु पूरक परीक्षा से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सानुग्रह अंकों का लाभ देय नही होगा।**

(द) **जामिया उर्दू, अलीगढ़ (उ.प्र-) की अदीब परीक्षा व अदीब माहिर परीक्षा की इस बोर्ड द्वारा जून 2011 से मान्यता समाप्त की जा चुकी है। अतः यह परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को पात्रता प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जायेगा।**

(vi) आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख संलग्न करें :–

(अ) कक्षा 10 उत्तीर्ण की अंक तालिका की शाला प्रधान द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति।

या

(ब) कक्षा 12 उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण की अंक तालिका की शाला प्रधान द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति।

(स) यदि माध्यमिक स्तर की परीक्षा अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण है तो मूल पात्रता प्रमाण–पत्र ।

(vii) उच्च माध्यमिक (व्यावसायिक परीक्षा) उत्तीर्ण परीक्षार्थी भी उच्च माध्यमिक (अकादमिक परीक्षा) में पूरे विषयों में प्रविष्ट हो सकते है।

(viii) स्वयंपाठी रूप से केवल कला वर्ग के निर्धारित विषयों में तथा वाणिज्य वर्ग की परीक्षा में ही प्रविष्ट हो सकेगें। विज्ञान वर्ग/कृषि वर्ग तथा कला वर्ग के भूगोल एवं मनोविज्ञान विषयों में किसी भी परीक्षार्थी को प्रथम बार स्वयंपाठी रूप में प्रवेशाज्ञा नहीं दी जायेगी इन वर्गो में केवल अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को ही, जो प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण है तभी स्वंयपाठी रूप से परीक्षा में प्रवेशाज्ञा दी जाएगी और उनके प्रायोगिक परीक्षा अंको की व्यवस्था के अनुसार पुनरावृति कर दी जाएगी।

(ix) कला वर्ग के अन्तर्गत गृह विज्ञान (कोड–18) विषय लेकर बैठने वाले परीक्षार्थियों को प्रायोगिक कार्यो के लिये उसी वर्ग में मान्यता प्राप्त किसी उच्च माध्यमिक विद्यालय में 31 अगस्त तक प्रवेश लेकर एवं उसी सत्र की 31 जनवरी तक प्रति विषय निर्धारित प्रायोगिक कार्य पूर्ण करके तत्संबंधी प्रमाण पत्र परीक्षा के समय प्रायोगिक परीक्षक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में प्रार्थी से विद्यालय द्वारा प्रति विषय निर्धारित शुल्क लिया जाएगा। कला वर्ग के अन्तर्गत चित्रकला तथा संगीत विषयों के लिए प्रायोगिक कार्य पूर्ण करने का प्रमाण पत्र देना आवश्यक नही है

(x) **वाणिज्य वर्ग के अन्तर्गत हिन्दी/अंग्रेजी शीघ्र लिपि के साथ टंकणलिपि विषय भी लेना होगा तथा दोनों ही विषय में अलग–अलग उतीर्ण होना अनिवार्य है।** टंकणलिपि लेने वाले विद्यार्थियों को टंकण यंत्र का प्रबंध स्वयं करना होगा।

(xi) उच्च माध्यमिक कला वर्ग के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य, गुजराती साहित्य, पंजाबी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, प्राकृत भाषा में से विवरणिका के अनुसार एक विषय ही वैकल्पिक विषय के रूप में ले सकेगा।

(xii) श्रेणी 2 व 6 में इस बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को निरन्तरता के वर्ष में आगामी वर्ष केवल एक अवसर देय है। यह सुविधा अन्य बोर्ड/विश्वविद्याालय के छात्रों को देय नहीं है।

(xiii) एक बार किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद उसी परीक्षा में श्रेणी–1 में प्रवेशाज्ञा नहीं दी जावेगी किन्तु समकक्ष किसी अन्य परीक्षा में श्रेणी–1 में प्रवेशाज्ञा दी जा सकेगी।

(xiv) श्रेणी–5 प्राच्य भाषा को वर्ष 2023 से लोपित (समाप्त) कर दिया गया है।

माध्यमिक/प्रवेशिका परीक्षा हेतु पात्रता :–

(i) बोर्ड की माध्यमिक/प्रवेशिका परीक्षा में केवल वे ही परीक्षार्थी प्रवेश पा सकेंगे, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 8 की परीक्षा नियमित अथवा स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण क्रमोन्नत कर ली हो। कक्षा 8 उत्तीर्ण क्रमोन्नत करने के एक वर्ष के अन्तराल के बाद, अगले वर्ष में वह स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में माध्यमिक/प्रवेशिका परीक्षा में प्रविष्ट हो सकेगा। केवल कक्षा 9 अनुत्तीर्ण की टी. सी. के आधार पर परीक्षा में प्रवेशाज्ञा नहीं दी जायेगी।

(ii) विद्यालय स्तर की कक्षा–11 की स्थानीय परीक्षा के साथ बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा में श्रेणी–2 व श्रेणी–6 में स्वयंपाठी छात्र के रूप में प्रवेशाज्ञा दी जा सकेगी, किन्तु पूर्व में लिये गये विषयों में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

(iii) इस बोर्ड/विश्वविद्यालय से सैकण्डरी/सीनियर सैकण्डरी/प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय या समकक्ष परीक्षा अथवा उच्च परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को एक बार परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के बाद उसी परीक्षा में दोबारा श्रेणी–1 में

प्रवेशाज्ञा नहीं दी जायेगी। **किन्तु यदि वे समकक्ष किसी** अन्य परीक्षा में प्रविष्ट होना चाहता है तो उन्हें केवल आगामी वर्ष में ही प्रवेशाज्ञा दी जा सकेगी।

(iv) आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख संलग्न करें :–

(अ) कक्षा 8 परीक्षा उत्तीर्ण क्रमोन्नत की अंक तालिका की शाला प्रधान द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति।

(ब) यदि कक्षा 8 नियमित परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण /क्रमोन्नत की है तो पूर्व शाला की टी.सी. की शाला प्रधान द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति।

या

माध्यमिक/प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण की अंक तालिका की शालाप्रधान द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति।

परिशिष्ट – 4

1. आवेदन पत्र भरवाना एवं अग्रेषित करना :–

रिक्त परीक्षा आवेदन पत्र डाउनलोड करके परीक्षार्थियो से भरवाने हैं तथा इनके आधार पर ऑनलाईन आवेदन –पत्र भरे जाने हैं। परीक्षा आवेदन पत्रों का प्रारूप एवं निर्देश बोर्ड वेबसाइट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है। जो परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2025 में आवेदन करना चाहते हैं उन्हें आप आवेदन पत्र भरने से पूर्व उनसे निर्धारित तिथियों के अनुसार सामान्य/ अतिरिक्त परीक्षा शुल्क तथा अग्रेषण शुल्क अग्रिम रूप से प्राप्त कर लें जिसके लिए परीक्षार्थी को रसीद भी दें और अपनी शाला की मुहर और हस्ताक्षर भी करें। आवेदन पत्र पर रसीद का क्रमांक व दिनांक भी अंकित कर दिया जाये। आवेदन पत्र देने से पूर्व कृपया उससे इस बात की जानकारी ले लें कि वह किस श्रेणी में परीक्षा देना चाहता है/चाहती है और मार्ग–दर्शन भी दें कि वह परीक्षा के लिए पात्र है या नहीं इस हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न अनुदेश पत्र बोर्ड की विवरणिका एवं अनुदेशिका का भी अध्ययन कर लें। आवेदन–पत्रों के वितरण का पूरा हिसाब एक रजिस्टर में रखा जाये जिसमें निम्नानुसार कॉलम बनाये जायें :–

क्र. सं.	परीक्षार्थी का नाम	परीक्षार्थी के पिता का नाम	परीक्षार्थी का पता	आवेदन पत्र पर मुद्रित कमांक	परीक्षार्थी से लिये गये परीक्षा शुल्क की राशि	विद्यालय द्वारा दी गई रसीद का कमांक व दिनांक	परीक्षार्थी के हस्ताक्षर एवं दूरभाष नं.	परीक्षार्थी द्वारा आवेदन पत्र वापस जमा कराने की दिनांक एवं अतिरिक्त शुल्क	अग्रेषण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रत्येक परीक्षार्थी के रजिस्टर में हस्ताक्षर लें परीक्षार्थी को यह भी बता दें कि आपका आवेदन–पत्र आपकी पहचान सुनिश्चित करने के बाद ही स्वीकार किया जायेगा। यदि परीक्षार्थी निर्धारित तिथि तक आवेदन–पत्र जमा नहीं कराता है तो इस तथ्य का इन्द्राज भी रजिस्टर में कर लें।

2. परीक्षा आवेदन पत्र प्रेषण के संबंध में आवश्यक निर्देश :–

सभी शाला प्रधानों/अग्रेषण अधिकारियों को ऑनलाईन भरे हुए आवेदन–पत्र एवं परीक्षा शुल्क की चालान रसीदें निर्धारित तिथि तक ही निर्धारित नोडल केन्द्र पर जमा कराना अनिवार्य है । आवेदन पत्र भरने की सभी अन्तिम तिथि के पश्चात् आवेदन–पत्र/शुल्क स्वीकार नहीं होगा। परीक्षार्थी परीक्षा में प्रविष्ट नहीं होंगे जिसकी जिम्मेदारी शाला प्रधान /अग्रेषण अधिकारी की होगी। किसी विषम परिस्थिति में निर्णय लेने का अधिकार बोर्ड के सचिव महोदय को होगा ।

3. आवेदन–पत्र स्वीकार करने से पूर्व परीक्षार्थी की पहचान :–

किसी परीक्षार्थी के नाम से अन्य व्यक्ति परीक्षा न दे सके इसकी रोकथाम के लिये आवेदन–पत्र स्वीकार करने से पूर्व आप यह सुनिश्चित कर लें कि **आवेदन–पत्र पर उसी व्यक्ति का फोटो लगा है जिसका यह आवेदन–पत्र है ।**

इस हेतु निम्नानुसार पहचान सुनिश्चित की जाये :–

(1) परीक्षार्थी उसी विद्यालय का पूर्व में विद्यार्थी रहा हो ।

(2) परीक्षार्थी की पहचान अग्रेषण अधिकारी / विद्यालय स्टाफ द्वारा सुनिश्चित हो जाये। अथवा

(3) अन्य परिस्थितियों में परीक्षार्थी अपने आवक्ष चित्र शपथ–पत्र नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करें ।

(4) परीक्षार्थी के किसी पहचान–पत्र यथा वोटर आई.डी. कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड/जन आधार कार्ड या किसी संस्था द्वारा जारी पहचान–पत्र। की फोटो प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

4 आवेदन पत्र स्वीकार करते समय जाँच :–

परीक्षार्थी से आवेदन पत्र प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन–पत्र निर्धारित तिथि पर या उससे पूर्व जमा कराया जा रहा है। यदि विलम्ब हुआ तो परीक्षार्थी से अतिरिक्त परीक्षा शुल्क ले लिया गया है। निर्धारित तिथियों के बाद आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाये। इसके बाद निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर जांच करें :–

(1) परीक्षार्थी ने सभी संबंधित प्रविष्टियों की पूर्ति कर दी है एवं अवांछित प्रविष्टियों को काट दिया है।

(2) निर्धारित कॉलम में वर्ग तथा श्रेणी कोड सही अंकित है।

(3) परीक्षार्थी ने आवेदन पत्र के उसी एक श्रेणी के कॉलम को भरा है, जिसमें वह प्रवेश चाहता है और जिसमें वह प्रवेश योग्य है तथा सम्बन्धित परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क ले लिया गया है एवं विषय कोड सही–सही लिखे गये हैं।

(4) परीक्षार्थी के आवेदन–पत्र में निर्धारित सभी स्थानों पर उसका स्वयं का पूर्ण पता लिखा हो किसी भी निजी शैक्षिक संस्था (Private Coaching Institute) का पता परीक्षार्थी न दें।

(5) जिस परीक्षार्थी के आवेदन–पत्र के साथ राजस्थान के अलावा अन्य प्रान्त/राज्य के जिला विद्यालय का स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है तो ऐसी स्थिति में उस जिले के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर युक्त होना आवश्यक है।

(6) परीक्षार्थियों को परीक्षा देने हेतु दो स्थानों का चयन करना है। आवेदन–पत्र में यथा स्थान परीक्षा केन्द्र स्थान तथा उसका कोड अंकित करें। **ये स्थान उसी जिले में होने चाहिये जिस जिले से परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषित किया जा रहा है।**

(7) आवेदन पत्र में जन्म तिथि संलग्न मूल अंक तालिका/टी.सी. के अनुसार ही है। उसमें काट/छाँट/ऊपरीलेखन नहीं होना चाहिये। आवेदन पत्र में अंकित जन्मतिथि में अंकों व शब्दों में कोई भिन्नता तो नहीं है। प्रस्तुत टी. सी. फर्जी तो नहीं है। टी. सी. में थोड़ा सा भी संन्देह हो तो बोर्ड को अवश्य सूचित करें। परीक्षार्थी ने आवेदन पत्र में स्वयं के नाम तथा पिता का नाम उसी प्रकार लिखा है जिस प्रकार वह अपने प्रमाण–पत्र में लिखवाना चाहता है तथा हिन्दी व अंग्रेजी में भिन्नता तो नहीं है और वर्तनी सही है।

(8) सम्बन्धित परीक्षार्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले वांछित प्रलेखों (Documents) की मूल प्रतियों से जाँच कर लें तथा (प्रलेख की केवल फोटो कापी अथवा सत्य प्रतिलिपि स्वीकार नहीं करें) आवेदन पत्र के साथ मूल लेख से आप द्वारा सत्यापित फोटो प्रति ही प्रेषित करें।

(9) आवेदन–पत्र पर परीक्षार्थी का नवीनतम स्पष्ट रंगीन फोटो लगाना है। केवल जैन साधु–साध्वियों को आवक्ष चित्र से मुक्ति है। आवक्ष चित्र और घोषणा पर परीक्षार्थी को आपके सामने निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करना चाहिए। परीक्षार्थी का चित्र प्रमाणित करते हुए आप भी अपने निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर और मुद्रा लगायें ताकि यह पुष्टि हो सके कि परीक्षार्थी का आवेदन–पत्र व कम्प्यूटर डाटा फार्म अग्रेषित किया है जिनके चित्र उस पर लगे हुए हैं।

(10) अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक रूप से लगा होना चाहिए। इसकी प्रक्रिया परिशिष्ट–2 पर दी गई है।

(11) प्रत्येक परीक्षार्थी से आवेदन पत्र में पिता के नाम के साथ–साथ माता का नाम भी आवश्यक रूप से लिखवाना है। यदि वे दोनों में से किसी एक का नाम लिखने की स्थिति में न हो तो उनसे कारण सहित प्रार्थना–पत्र लिया जाये और यदि माता एवं पिता दोनों का नाम नहीं लिखना चाहे तो अनाथालय/अभिभावक का नाम लिखने की छूट है किन्तु इस हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त कर अग्रेषण अधिकारी के हस्ताक्षर कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। **महिलाओं को भी माता पिता का नाम लिखना है पति का नाम नहीं लिखना है।**

5. राजस्थान राज्य से बाहर रहने वाले परीक्षार्थी भी स्वयंपाठी के रूप से बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक/प्रवेशिका परीक्षा में बैठ सकते हैं, परन्तु उन्हें उनके आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा राज्य में नियुक्त अग्रेषण अधिकारियों से ही अग्रेषित कराने हैं। अतः आपके पास यदि कोई परीक्षार्थी आते हैं तो आप उसे आवेदन पत्र देवें और उसके द्वारा पूर्ति कर वापस देने पर अग्रेषित कर दें। ऐसे परीक्षार्थियों के आवेदन पत्रों की आप कृपया पूरी तरह जांच करें एवं देख लें कि परीक्षार्थी ने सभी आवश्यक साक्ष्य और प्रलेख प्रस्तुत कर दिये हैं। पूर्ण सन्तुष्टि के बाद ही कृपया आवेदन पत्र अग्रेषित करें।

6. ऑनलाईन परीक्षा आवेदन–पत्र भरना :–

परीक्षार्थियों द्वारा भरे गये परीक्षा आवेदन–पत्र के आधार पर बोर्ड की वेबसाईट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करने के लिये दिये गये निर्देशानुसार ऑनलाईन परीक्षा आवेदन–पत्र भरें। परीक्षार्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन करके Upload करें। तत्पश्चात नियमित परीक्षार्थियों हेतु दिये गये निर्देशानुसार चालान एवं अग्रेषण सूची मुद्रित करवा कर परीक्षा शुल्क निर्धारित तिथियों में 1.राजस्थान ग्रामीण बैंक 2. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक व पोर्टल पर उपलब्ध अन्य बैंक की राजस्थान में स्थित किसी भी शाखा में जमा करावें। शुल्क जमा कराने के पश्चात चालान फार्म पर दिये गये Transaction ID/No. Website पर Feed करके परीक्षा आवेदन–पत्र मुद्रित करें। **आवेदन पत्र जमा कराने के सम्बन्ध में पृथक से आदेश प्रसारित कर दिये जाएंगे।** ऑनलाईन परीक्षा आवेदन–पत्र भरने के विस्तृत निर्देश नियमित परीक्षार्थी के अग्रेषण अधिकार प्रपत्र–33 में देखें।

7. आवेदन पत्रों का प्रेषण :–

ऑनलाईन भरे गये परीक्षा आवेदन–पत्रों को निर्धारित तिथियों के अनुसार नोडल केन्द्र पर निम्न के साथ जमा करायें।

(अ) शुल्क अग्रेषण पत्र (प्रपत्र–127) (ब) अग्रेषण सूची (वर्ग वार –दो प्रतियों में)

(स) ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र। (द) परीक्षा शुल्क के चालान रसीदों की दो प्रतियां।

(य) यदि अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से माध्यमिक स्तर परीक्षा उत्तीर्ण है तो मूल पात्रता प्रमाण–पत्र सम्बन्धित आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करें।

8. अग्रेषण सूची :–

परीक्षा आवेदन–पत्र ऑनलाईन भरने के पश्चात् मुद्रित अग्रेषण सूची जो बैंक द्वारा शुल्क जमा होने के पश्चात् बैंक मुहर लगाकर आपको दी गई है, उसकी एक फोटोप्रति करा लें। मूल प्रति परीक्षा आवेदन पत्रों के साथ नोडल केन्द्र पर जमा करावें तथा फोटो प्रति अपने रिकार्ड में सुरक्षित रखें।

परिशिष्ट – 5

1. विषय/परीक्षा केन्द्र परिवर्तन :–

(i) सैकण्डरी/सीनियर सैकण्डरी/प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परीक्षार्थ आवेदन पत्र भरने के पश्चात् यदि परीक्षार्थी विषय परिवर्तन करना चाहे तो निम्नानुसार विषय परिवर्तन कर सकेगा :–

नोट :– श्रेणी सुधार (कैटगरी 2) में प्रविष्ट छात्र गत वर्ष में प्रविष्ट विषयों में ही परीक्षा दे सकेगें। विषय परिवर्तन किसी भी दशा में स्वीकार्य नही होगा।

1. 30 नवम्बर तक विषय परिवर्तन करने हेतु प्रति विषय एक परीक्षा शुल्क के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ।
2. 31 दिसम्बर तक विषय परिवर्तन करने हेतु प्रति विषय दोगुना परीक्षा शुल्क रू.1300/–देय होगा।
3. 31 जनवरी तक विषय परिवर्तन परीक्षा केन्द्र पर प्रश्न–पत्र उपलब्ध होने की स्थिति में 1000/–रुपये अतिरिक्त शास्ति शुल्क प्रति विषय तथा दुगुने परीक्षा शुल्क सहित कुल शुल्क रू. 2300/– प्रायोगिक शुल्क रू. 100/– अलग से देय होगा।
4. 31 जनवरी के पश्चात् परीक्षा प्रारम्भ से 03 दिन पूर्व तक विषय परिवर्तन (केन्द्र पर प्रश्न पत्र उपलब्ध होने की स्थिति में) रू. 2000/–शास्ति एवं दुगुने परीक्षा शुल्क रू. 1300/– सहित कुल रू. 3300/– देय होगा प्रायोगिक शुल्क रू. 100/– अलग से देय होगा।
5. **परीक्षा केन्द्र पर संबंधित विषय के प्रश्न–पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में रुपये 3000/–** प्रति विषय अतिरिक्त शास्ति शुल्क तथा दोगुना परीक्षा शुल्क सहित कुल शुल्क रू. 4300/– तथा प्रायोगिक शुल्क रू. 100/– अलग

से देय होगा। उपर्युक्त अनुमति बोर्ड परीक्षा प्रारम्भ होने के **तीन दिवस पूर्व तक बोर्ड कार्यालय में शुल्क एवं आवेदन–पत्र जमा होने पर ही दी जायेगी।** परीक्षा केन्द्र पर यह शुल्क जमा नहीं किया जायेगा।

नोट :(1) बिना शुल्क के प्रेषित प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(2) किसी परीक्षार्थी को किसी स्थान पर उसके द्वारा चाहा गया विशेष परीक्षा केन्द्र आवंटित नहीं किया जावेगा। परीक्षार्थी द्वारा चाहे गये स्थान पर परीक्षा केन्द्रों का आवंटन बोर्ड अपने स्तर पर करेगा। परीक्षार्थियों को एक बार केन्द्र आवंटित होने के बाद उसी स्थान पर केन्द्र परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(3) विकलांग छात्र यदि केन्द्र/वर्ग/विषय/श्रेणी परिवर्तन करते हैं तो उन्हें भी अन्य छात्रों की भांति निर्धारित शुल्क देना होगा।

(4) विषय/केन्द्र परिवर्तन :– आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात विशेष परिस्थितिवश यदि कोई परीक्षार्थी केन्द्र/विषय/वर्ग अथवा श्रेणी/माध्यम परिवर्तन करना चाहे तो वह एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित 30 नवम्बर तक आवेदन कर सकता है तथा दोगुना परीक्षा शुल्क सहित 31 दिसम्बर तक आवेदन कर सकता है।

नोट :– 1. 31 दिसम्बर के बाद सामान्यतः केन्द्र परिवर्तन नही किया जायेगा।

2. जैन साधु साध्वियों द्वारा यात्रा/प्रवास किये जाने पर प्रश्न पत्र की उपलब्धता के आधार पर सशुल्क केन्द्र परिवर्तन स्वीकार किया जा सकता है।

परिशिष्ट – 6

1. श्रेणी/अंक सुधार/विषय/अतिरिक्त विषय एवं वर्ग परिवर्तन के संबंध में :–

अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से माध्यमिक/उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को श्रेणी/अंक सुधार/विषय/अतिरिक्त विषयों एवं वर्ग परिवर्तन कर परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी। केवल इस बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण स्वयंपाठी परीक्षार्थी ही उच्च माध्यमिक परीक्षा में श्रेणी/अंक सुधार/अतिरिक्त विषयों/विषय एवं वर्ग परिवर्तन में निम्न प्रतिबंधों के साथ आवेदन कर सकते हैं:–

(1) विज्ञान वर्ग में उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित होकर अनुत्तीर्ण रहे परीक्षार्थी जीव विज्ञान अथवा गणित विषय को अथवा संस्कृत साहित्य विषय अथवा कम्प्यूटर विज्ञान (03) इन्फोरमेटिक्स प्रेक्टिसेस (04) विषय को तृतीय एवं चतुर्थ ऐच्छिक विषय के रूप में ले सकते हैं।

(2) अन्य सभी वर्गों में उच्च माध्यमिक परीक्षा में आवेदन करने वाले परीक्षार्थी कम्प्यूटर विज्ञान (03) इन्फोरमेटिक्स प्रेक्टिसेस (04) विषय को चतुर्थ अतिरिक्त विषय के रूप में भी ले सकते हैं। चतुर्थ अतिरिक्त ऐच्छिक विषय के रूप में लेने पर परीक्षार्थियों से निर्धारित अतिरिक्त विषय का परीक्षा शुल्क लिया जावेगा।

नोट (अ) जिन विषयों में प्रायोगिक कार्य निहित है उनकी प्रायोगिक परीक्षा भी ली जायेगी। स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट होने वाले अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रधानाचार्य का इस विषय में निर्धारित प्रायोगिक कार्य पूर्ण करने का प्रमाण–पत्र परीक्षा के समय परीक्षक को देना होगा। रूपये 100/– प्रति विषय प्रायोगिक परीक्षा शुल्क लिया जावेगा।

(ब) अतिरिक्त विषय के लिए आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों को एक परीक्षा शुल्क रू.650/– प्रति विषय अतिरिक्त देना होगा।

(3) बोर्ड की उ. मा. परीक्षा में प्रविष्ट होने के पश्चात् उच्च परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी बोर्ड की उ.मा. परीक्षा में अतिरिक्त विषय के रूप में यदि ऐसे विषय का चयन करता है जो उसने पूर्व में नहीं लिया है तथा उस विषय में उच्च अध्ययन नहीं किया है तो उसे उ.मा. परीक्षा में अतिरिक्त विषय के रूप में श्रेणी 4 में प्रवेश की अनुमति दी जावेगी।

श्रेणी II श्रेणी सुधार (cat-2) हेतु छात्रों को श्रेणी 1 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष से निरन्तरता के वर्ष में मात्र एक अवसर तक ही प्रदान की जावेगी। श्रेणी 2 (श्रेणी सुधार) में परीक्षार्थी को विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं है। विज्ञान वर्ग के अन्तर्गत परीक्षार्थी श्रेणी 2 के साथ–साथ चतुर्थ अतिरिक्त विषय में जीव विज्ञान अथवा गणित ऐच्छिक विषय में भी आवेदन कर सकते है।

श्रेणी IV-**एक बार मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् श्रेणी (iv) अतिरिक्त विषय संबंधी नियम :–**

1. केवल इसी बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी चयनित उसी संकाय में कोई भी एक विषय (जो पूर्व में नही लिया है।) अतिरिक्त विषय के रूप में लेने की अनुमति प्रदान की जायेगी। यदि परीक्षार्थी द्वारा पूर्व में लिये गये विषयों में उच्च अध्ययन कर लिया गया है तो उसे अतिरिक्त विषय में अनुमति नही दी जायेगी।
2. वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को वरिष्ठ उपाध्याय से संबंधित विषयों में ही अतिरिक्त विषय के रूप में लेने की अनुमति प्रदान की जायेगी। (जो पूर्व में नही लिया है।) अतिरिक्त विषय हेतु एक परीक्षा शुल्क अतिरिक्त देय होगा।
3. केवल इसी बोर्ड से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को माध्यमिक परीक्षा से संबंधित अन्य तृतीय भाषा में अतिरिक्त विषय लेने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

श्रेणी VI- (अंक सुधार में आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों को उसी वर्ग एवं विषयों (सम्पूर्ण विषयों में नही) में संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण के निरन्तरता के वर्ष में केवल एक अवसर देय होगा। श्रेणी 6 में आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों को पूर्व उत्तीर्ण परीक्षा (श्रेणी 1 सम्पूर्ण विषयों में प्रविष्ठ) की मूल अंकतालिका संलग्न करनी होगी। श्रेणी 6 में आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों द्वारा श्रेणी 6 के विषयों के प्राप्तांको तथा शेष विषयों के पूर्व वर्षो में श्रेणी में उत्तीर्ण विषयों के अंको को जोडते हुए समेकित अंकतालिका मय प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा। श्रेणी–6 में अनुत्तीर्ण होने पर केवल वर्तमान विषयों की अंकतालिका प्रदान की जायेगी।

श्रेणी VIII- श्रेणी 8 में वे ही अभ्यर्थी प्रवेश योग्य होंगे जो इस बोर्ड की कक्षा 12 उत्तीर्ण हो एवं वर्ग परिवर्तित कर पुनः कक्षा 12 में (सम्पूर्ण विषयों में) आवेदन कर रहे हो। श्रेणी 8 में प्रवेश में लिये उत्तीर्ण वर्ष की निरन्तरता में आवेदन करना आवश्यक नहीं है, किन्तु **विज्ञान वर्ग, कृषि वर्ग तथा कला वर्ग के भूगोल व मनोविज्ञान विषय में कोई भी परीक्षार्थी प्रथम बार स्वयंपाठी रूप से परीक्षा में बैठने के लिये पात्र नहीं है।** इस श्रेणी में केवल एक अवसर ही देय होगा तथा परीक्षार्थी द्वारा उच्च अध्ययन कर लिया गया हो तो उसको अनुमति प्रदान नही की जायेगी।

नोट श्रेणी 1 उत्तीर्ण करने के पश्चात श्रेणी सुधार (श्रेणी 2) अंक सुधार (श्रेणी 6) अथवा वर्ग परिवर्तन कर पुनः प्रवेश (श्रेणी 8) में से किसी भी एक श्रेणी में परीक्षार्थी को केवल एक अवसर ही देय होगा। यदि छात्र श्रेणी 2, श्रेणी 6 अथवा श्रेणी 8 में आवेदन करने के पश्चात अनुपस्थित/अनुतीर्ण रहता है तब भी उसे इन श्रेणियों मे पुनः प्रवेशाज्ञा देय

नही है। यदि परीक्षार्थी द्वारा पूर्व में उत्तीर्ण विषयों में ही श्रेणी परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र शस्ति शुल्क रू. 2000/– सहित प्रस्तुत करने पर परीक्षा केन्द्र पर प्रश्न पत्र उपलब्ध होने की स्थिति में परीक्षा प्रारम्भ होने के 10 दिन पूर्व तक ही स्वीकार किये जायेगें।

परिशिष्ट – 7

(अ) सामान्य निर्देश :–

(1) आप कृपया स्वयंपाठी परीक्षार्थी के स्वयं उपस्थित होने पर ही परीक्षा आवेदन पत्र स्वीकार करें। आवेदन–पत्र मय शुल्क निर्धारित तिथि के अन्तर्गत ही भेजें। विलम्ब से आवेदन पत्र भेजने से परीक्षार्थी परीक्षा में प्रविष्ट नहीं हो पाया तो इसकी समस्त जिम्मेदारी अग्रेषण अधिकारी की होगी। मामले की गम्भीरता को देखते हुए संबंधित अग्रेषण अधिकारी के विरूद्व कार्यवाही की जावेगी तथा शाला की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है तथा इसके विरूद्व कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों को सूचित किया जायेगा।

(2) **कक्षा 10 के विशेष योग्यजन परीक्षार्थियों को अंग्रेजी विषय में वर्ष 2019 की बोर्ड परीक्षा से छूट समाप्त की जा चुकी है तथा कक्षा 12 में अंग्रजी विषय की छूट परीक्षा वर्ष 2021 से समाप्त कर दी गई है।**

(3) माध्यमिक/प्रवेशिका/उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाओं में पूरक योग्य घोषित परीक्षार्थियों को पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु मात्र पूरक परीक्षा में एक ही अवसर देय है। पूरक परीक्षा में अनुपस्थित होने अथवा अनुत्तीर्ण रहने पर भी अन्य अवसर नहीं दिया जावेगा।

(4) किसी भी परीक्षार्थी को (केवल छात्र की मृत्यु हो जाने के अतिरिक्त) कोई शुल्क नहीं लौटाया जायेगा और न ही सुरक्षित रखा जायेगा।

(5) विस्तृत जानकारी के लिये विवरणिका वर्ष 2025–26 अवश्य देखें। सूचना बोर्ड की वेबसाईट **www.rajeduboard.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

(6) विमंदित (अधिगम अक्षम) परीक्षार्थियों को राजकीय मेडिकल कॉलेज स्तरीय चिकित्सालय में गठित मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर परीक्षा हेतु अतिरिक्त समय के साथ श्रुतलेखक दिया जायेगा।

(7) अन्य निःशक्तजन परीक्षार्थी बोर्ड द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रारूप में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त समय/श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त कर सकता है। उक्त कार्यवाही परीक्षा प्रारम्भ होने के एक माह पूर्व पूरी कर बोर्ड से अनुमति प्राप्त करनी है। श्रुतलेखक मिलने की स्थिति में भी एक घंटा अतिरिक्त समय देय योग्य है।

(8) परीक्षार्थी द्वारा परीक्षार्थ आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जन्म तिथि में 31 दिसम्बर तक किये गये संशोधन आदेश स्वीकार किये जावेंगे। उसके पश्चात् किये गये संशोधन आदेश स्वीकार नहीं किये जायेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी कक्षा प्रथम से ही शाला प्रलेखों के आधार पर संशोधन कर सकेगें। जिला शिक्षा अधिकारी को इन प्रलेखों की फोटो प्रति बोर्ड को भेजनी आवश्यक है। आधार कार्ड/शपथ पत्र/जनआधार कार्ड/बी.पी.एल. कार्ड के आधार पर संशोधन स्वीकार्य नही होगें।

(9) बोर्ड अधिवेशन दिनांक 22.04.2017 के प्रस्ताव संख्या 10 एवं परीक्षा समिति दिनांक 20.04.2017 के प्रस्ताव संख्या 6 के अनुसार <u>बोर्ड परीक्षा 2019 से परीक्षार्थियों के फोटो संशोधन के प्रकरणों पर निम्नानुसार कार्यवाही की जावें।</u>

1. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की समस्त तिथियाँ समाप्त होने के पश्चात बोर्ड द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में ऑनलाईन संशोधन हेतु जारी विज्ञप्ति के अनुसार शालाओं द्वारा ऑनलाईन फोटो संशोधन निशुल्क किया जा सकेगा।
2. उक्त अवधि के पश्चात परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व तक शालाओं द्वारा फोटो संशोधन रू. 200/– प्रति संशोधन शुल्क तथा संशोधित फोटो प्रमाणित कर भेजने पर बोर्ड कार्यालय द्वारा संशोधन किया जावेगा।
3. परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र पर फोटो में त्रुटि पाये जाने पर शाला प्रधान पत्र द्वारा प्रमाणित संशोधित फोटो, संशोधन शुल्क रू. 200/– की दर से बोर्ड को तुरन्त स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से भेजे जिसका बोर्ड कार्यालय में फोटो संशोधन कराया जा सकेगा। शाला प्रधान प्रवेश पत्र पर संशोधित फोटो लगाकर प्रमाणित करेगें तथा इसका पत्र मय संशोधित फोटो के संबंधित केन्द्राधीक्षक को भी भेजेगें तथा संबंधित केन्द्राधीक्षक भी परीक्षार्थी का एक संशोधित फोटो उपस्थिति पत्रक पर लगाकर प्रमाणित करेगें।
4. <u>बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद फोटो संशोधन स्वीकार नही किया जावेगा</u> परन्तु यदि बोर्ड स्तर पर परीक्षार्थी के फोटो में कोई त्रुटि हो तो उसमे संशोधन किया जा सकेगा।

(10) वर्ष 2026 की परीक्षा से ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों में विद्यालयों को दी गयी संशोधन की निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने वाले संशोधनों पर बोर्ड द्वारा नियमानुसार शुल्क लिया जावेगा।

(11) विद्यार्थी अपना वर्ग / जाति कोड संख्या सही–सही भरें। यदि जाति कोड संख्या गलत भरी हुई है या कॉलम रिक्त छोड़ा है, तो इसमें संशोधन हेतु दी गई अवधि पश्चात/ परीक्षा परिणाम सूची में विद्यार्थियों के जाति / वर्ग में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा। संस्था प्रधान / अग्रेषण अधिकारी विद्यार्थियों से प्राप्त प्रमाण–पत्रों में जाति / वर्ग का अनिवार्यतः सत्यापन कर लें।

(12) बोर्ड परीक्षा आवेदन – पत्र में जो जाति श्रेणियां दी गई हैं :– 1. अनुसूचित जाति 2. अनुसूचित जनजाति 3. अन्य पिछड़ा वर्ग 4. विशेष पिछड़ा वर्ग/MBC तथा 5. आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (EWS) विद्यार्थी उनमें से केवल किसी एक श्रेणी का ही चयन कर सकता है। अतः जो विद्यार्थी एक से अधिक श्रेणी (Caste Category) से सम्बन्धित है तो उनमें से एक ही वर्ग जिसमें आप लाभ लेना चाहते हैं उस वर्ग का अंकन करें। बोर्ड परीक्षा परिणाम की वरिष्ठता सूची के आधार पर दिये जाने वाले पुरस्कार या छात्रवृत्तियां या किसी अन्य लाभ के लिए इस वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्ग का होने पर भी आपकी गणना इसी वर्ग (बोर्ड परीक्षा आवेदन–पत्र में भरे गये) जाति कोड में ही की जायेगी तथा परीक्षा आवेदन–पत्र में संशोधन की तिथि के पश्चात् इसमें किसी प्रकार के संशोधन पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि परीक्षार्थी अल्पसंख्यक वर्ग से है तो ओवदन पत्र में उसे भी अंकित कर।

(13) आधार कार्ड नम्बर फोटो प्रति तथा जन–आधार कार्ड नम्बर फोटो प्रति लगावे। आधार कार्ड तथा जन आधार कार्ड का नम्बर का उल्लेख केवल आवेदन पत्र में ही किया जावेगा।

(14) भारतीय सेना (थल, जल व वायुसेना, सीमा सेना अथवा आर. ए .सी.) में कार्यरत सैनिक परीक्षार्थियों को आवेदन पत्र सीधे बोर्ड को भेजने की सुविधा दी गई है। सेना अधिकारी ऐसे परीक्षार्थी को प्रमाणित करेंगे कि आवेदक उसकी यूनिट या रेजीमेन्ट में नियुक्त है। जो परीक्षार्थी आवेदन पत्र भरते समय केन्द्रीय सुरक्षा बल में कार्य कर रहें हैं, उनको अपना आवेदन पुलिस अधिकारी जिसका पद डिप्टी सुपरिटेंडेन्ट के पद से कम न हो, के द्वारा अग्रेषित करवा कर ऑफलाईन आवेदन पत्र सीधा बोर्ड को भेजने की सुविधा है। ऐसे परीक्षार्थी अपना परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट द्वारा आवेदन पत्र के साथ सीधे बोर्ड कार्यालय को भेजेगें। परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र इनके गृह निवास के पते पर डाक से भिजवाया जायेगा। शेष नियम अन्य स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के समान लागू होंगे। ये परीक्षार्थी ऑफलाईन आवेदन पत्र बोर्ड की वेबसाईट से डाउनलोड कर उपयोग में ले सकेंगें।

(15) बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र ऑनलाईन अपलोड किये जाऐगे जिन्हें अग्रेषण अधिकारी द्वारा पूर्व प्रदत आई.डी पासवर्ड से डाउनलोड कर प्रवेश पत्र मुद्रित करके प्रमाणित करने के पश्चात् परीक्षार्थियों को वितरित किया जाएगा।

परिशिष्ट – 8

बोर्ड पत्रांक : मा.शि.बो./ए.सी.ए./2016/8070 दिनांक 14.03.2016 के संशोधित कार्यालय आदेशानुसार :– राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः पं.3 (2) शिक्षा–6/2015 दिनांक 04.05.2015 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी समसंख्यक पत्रांक दिनांक 12.10.2015 एवं इसके क्रम में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के पत्रांक रा.मा.शि.पं/जय/V.E.GOR/2015–16/17512 दिनांक 04.12.15 द्वारा किये गये स्पष्टीकरण के अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) तथा पॉलोटेक्निक कॉलेज से दो या दो से अधिक वर्षो में मान्यता प्राप्त कोर्सेज में प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित करने, संकाय तथा प्रभावी निर्धारण हेतु बोर्ड द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक : ए.सी.ए./मा.शि.बो./2015/2979 दिनांक 03.09.2015 में आशिंक संशोधित व्यवस्था निम्नानुसार की जाती है :–

1. कक्षा– 10 की समकक्षता हेतु –

(i) कक्षा– आठवीं उत्तीर्ण करने के पश्चात दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल काउन्सिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात विद्यार्थी यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान/राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से कक्षा–10 के लिए निर्धारित कोर्स अनुसार अग्रेजी व हिन्दी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 10 वी उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।

(ii) उक्त दोनो विषय अंग्रेजी व हिन्दी विषय की परीक्षा तथा आई.टी.आई. की परीक्षा सम्मिलित रूप से उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही कक्षा–10 वी के समकक्ष उत्तीर्ण माना जाएगा। यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी जब अंग्रेजी व हिन्दी विषय की परीक्षा एक वर्ष में आई.टी.आई.के उत्तीर्ण वर्ष के साथ अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की है।

(iii) आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात (NCVT) नेशनल काउन्सिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के दो या दो से अधिक वर्षों का मान्यता कोर्स उत्तीर्ण (आदेशों के पूर्व एवं पश्चात) कर चुके विद्यार्थी दसवीं की समकक्षता अंग्रजी व हिन्दी विषय की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेंगे।

(iv) उपर्युक्त वर्णित बिन्दु सं. (i) से (iii) द्वारा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की उच्च माध्यमिक स्तर की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन करने पर बोर्ड कार्यालय से सशुल्क पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन पत्र में संलग्न करना होगा।

2. कक्षा– 12 की समकक्षता हेतु –

(i) कक्षा–दसवीं उत्तीर्ण करने के पश्चात दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल काउन्सिल फोर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात विद्यार्थी यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान/राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से कक्षा 12 के लिए निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते है तो उन्हे आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 12 वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।

(ii) यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी जब अंग्रेजी व आईटीआई के उत्तीर्ण वर्ष के साथ अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की है।

(iii) दसवी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात (NCVT) नेशनल काउन्सिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के दो या दो से अधिक वर्षों का मान्यता कोर्स उत्तीर्ण (आदेशों के पूर्व एवं पश्चात) कर चुके विद्यार्थी बारहवीं की समकक्षता अंग्रेजी की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेंगे।

(iv) दसवी कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात तथा किसी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक कॉलेज से 3 वर्ष का ऑल इण्डिया काउन्सिल फोर टेक्नीकल एजूकेशन (AICTE) से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने पर उन्हे आगे शिक्षा में प्रवेश हेतु कक्षा बारहवी उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।

3. संकाय निर्धारण बिन्दु संख्या 2 के सभी उप बिन्दुओं में वर्णित बाहरवीं की समकक्षता प्राप्त करने पर विद्यार्थी को विज्ञान संकाय का परीक्षार्थी माना जाऐगा।

उपरोक्त समकक्षता अर्जित किये जाने हेतु परिक्षार्थियों को बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा में अंग्रेजी एवं हिन्दी विषय में तथा उच्च माध्यमिक परीक्षा में अंग्रेजी अनिवार्य विषय में निम्न शर्तों के अनुसार प्रवेशाज्ञा प्रदान की जा सकेगी।

1. उपरोक्त व्यवस्था अनुसार परीक्षार्थियों को श्रेणी 9 (Cat 9) के तहत माध्यमिक परीक्षा में अंग्रेजी एवं हिन्दी स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में प्रवेशाज्ञा दी जायेगी। परीक्षार्थी को उक्त एक ही वर्ष में उत्तीर्ण किये जाने पर समकक्ष मान जायेगा।
2. उच्च माध्यमिक की समकक्षता हेतु परीक्षार्थी के बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में अंग्रेजी अनिवार्य विषय में स्वयंपाठी के रूप में प्रवेशाज्ञा प्रदान की जायेगी।
3. परीक्षार्थियों को श्रेणी 9 (Cat 9) के कॉलम में आवेदन पत्र में विषय अंकित करने होंगे।
4. परीक्षा उत्तीर्ण होने पर परीक्षार्थी को अंकतालिका मय प्रमाण–पत्र बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
5. परीक्षार्थी द्वारा आई.टी.आई. कोर्स/पोलिटेक्नीक कोर्स उत्तीर्ण की वैधता/मान्यता नेशनल कौंसिल फोर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT के निर्णयाधीन रहेंगे तथा प्राविधिक निदेशालय द्वारा ही अधिकृत मानी जावेगी। इसके लिये बोर्ड जिम्मेदार नही होगा।

6. किसी भी परीक्षार्थी के प्रलेख गैर मान्यता प्राप्त संस्था के अथवा सही नहीं पाए जाने की स्थिति में परीक्षार्थी की परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी।

विशेष :– परीक्षा व मूल्यांकन समिति की संयुक्त बैठक दिनांक 15 फरवरी 2017 में ऐसे परीक्षार्थियों अथवा अन्य बोर्ड से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को छात्रहित में प्रवेशाज्ञा प्रदान की जाती है। समकक्षता हेतु पात्र अन्य बोर्ड से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण अथवा दूसरे सेमेस्टर में बैक लगी हो तो ऐसे परीक्षार्थियों को छात्रहित में प्रवेशाज्ञा प्रदान की जाती है।

7. श्रेणी 9 में प्रवेशाज्ञा संबंधी अन्य नियम :–

1. इस बोर्ड द्वारा पूर्व वर्ष की परीक्षा में आईटीआई/पोलिटेक्निक के छात्र श्रेणी–9 के अन्तर्गत अग्रेंजी विषय में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण पश्चात उच्च माध्यमिक परीक्षा कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग, विज्ञान वर्ग के सम्पूर्ण विषयों में आवेदन किया गया है इस सन्दर्भ में निम्नानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(i) ऐसे परीक्षार्थी ने यदि उच्च माध्यमिक परीक्षा में विज्ञान वर्ग में आवेदन किया हो तो केवल नियमित परीक्षार्थीयों को (श्रेणी–1) सम्पूर्ण विषयों में प्रवेशाज्ञा दी जावे। स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र निरस्त किये जाये।

(ii) इन परीक्षार्थियों ने यदि श्रेणी–9 के अन्तर्गत विज्ञान वर्ग की उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर समकक्षता प्राप्त की है, किन्तु परीक्षार्थी (श्रेणी–8) में वर्ग परिर्वतन के साथ कला व वाणिज्य वर्ग के सम्पूर्ण विषयो में आवेदन पत्र भरे हो तो इन परीक्षार्थियों को श्रेणी–8 (वर्ग परिर्वतन) में प्रवेशाज्ञा दी जाये।

(iii) यदि परीक्षार्थी श्रेणी–9 में अनुत्तीर्ण रहे हो तो उन्हे बोर्ड नियमान्तर्गत प्रवेशाज्ञा दी जा सकती है।

नोट :– 1. विशेष आवश्यकता वाले परीक्षार्थियों (CWSN) को देय सुविधाओं एवं प्रश्नमाला आधारित विशेष प्रश्न पत्रों की विस्तृत जानकारी हेतु प्रपत्र 33 का अवलोकन कर तद्नुसार आवेदन पत्र भरवाये।

2. विशेष आवश्यकता वाले परीक्षार्थियों (CWSN) हेतु वर्ग एवं विषयों की कोड सहित विस्तृत जानकारी प्रपत्र 33 में उपलब्ध है जिसका भली भांति अध्ययन कर आवेदन पत्र भरवाये जाये।

3. अग्रेषण अधिकारियों का स्वयंपाठी परीक्षार्थियों से सम्पर्क नहीं रह पाता तथा किसी भी प्रकार की पूछताछ व प्रायोगिक परीक्षा के प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित किये जाते हैं। अतः परीक्षार्थियों का पूर्ण पता मोबाईल नम्बर सहित अवश्य भराया जावे व ऑनलाईन भी भरवाया जाये।

–: सम्पर्क सूत्र :–

पदनाम	नाम	फोन नं. कार्यालय
सचिव	श्री कैलाश चन्द्र शर्मा R.A.S.	0145–2420597
विशेषाधिकारी (परीक्षा)	श्रीमती नीतू यादव R.A.S.	0145–2626804
मुख्य नियंत्रक (परीक्षा)	श्री राजेश निर्वाण	0145–2940100
ए.सी.पी. (उपनिदेशक) ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र पूछताछ हेतु	श्रीमती निशा स्वामी	0145–2627454
उप निदेशक (परीक्षा)	श्री राम बहादुर सिंह	0145–2425770
परीक्षा नियंत्रण कक्ष	0145– 2632866, 2632867, 2632868 ईमेल आईडी – ddexamfirst@hotmail.com / ddexamfirst@gmail.com	

Website : www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर विस्तृत निर्देश हेतु बोर्ड विवरणिका 2023–24 देखें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
MEDICAL & HEALTH DEPARTMENT
MEDICAL BOARD'S CERTIFICATE ON PERMANENT DISABILITY

(Specified in Section 2 (b) (e)(l)(n)(o)(q)(r)(t) and (u) of the persons with disabilities Act. 1995, CH. II of the persons with disabilities Rules 1996, Notification of the Govt. of India In the Ministry of Welfare No-4-2/83-HW III date 6th August, 1986 and circular No. P-16/5/MH/2/98 dated 30/6/2000 Medical & Department Government of Rajasthan.

Certificate No. ..../ Date ....

Name of Hospital

DEPARTMENT OF OCTORUINO LARYNGOLOGY
....
....

This is to certify that Shri/Smt./Km. ....whose particulars are furnished below. is bonafide "Person with Disability" ORTHOPADICALLY/ VISUALLY/HEARING IMPAIRMENT/MENTALLY/LEPROSY CURED PERSON

PARTICULARS OF THE DISABLED PERSON

FATHER'S/ HUSBAND'S NAME ....
GENDER .... AGE ....
ADDRESS ....
...
IDENTIFICATION MARK ....
HISTORY OF ILLNESS/TRAUMA WITH DURATION...
...
AGGREGATE PERCENTAGE OF THE PERMANENT DISABILITY..

(I) HE/SHE HAS 40% DISABILITY IN DOMINENT HAND

or

(II) HE/SHE IS UNABLE TO WRITE HIMSELF
(In case of Polio/Paralysis/by birth disablity and accident)
(✓and Signature as applicable)

Signature
Thumb Impression
of the Disabied Person

Place :
Date

Issued by : Signature
Name :
Seal

Counter signed by :
Signature
Name
Seal

Note :- 1. Aforesaid Person with disability is eligible to apply for facilities concessions and benefit admissible under Schemes of the Govt./Non. Govt. organization subject to such condition as the Central or the State Government may Issue.
2. In case of Polio/Paralysis/by Birth disability and accident, please mention clearly that He/She has 40% disability in dominent hand or unable to write himself.